

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014— श्रावण 1, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 (श्रावण 1, शक 1936)

क्रमांक-8125/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) जो बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्तां./-  
(देवेन्द्र वर्मा)  
प्रमुख सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2014)

**अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2014**

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013  
(क्र. 15 सन् 2013) में संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.  |
|                             |    | (2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.   |
| धारा 2 का संशोधन.           | 2. | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-<br><br>“(छ) “निदेशक” से अभिप्रेत है, संस्था का निदेशक, जो विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होगा और जिसे “कुलपति” या “कुलपति और निदेशक” के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;” |
| धारा 6 का संशोधन.           | 3. | मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-<br><br>“(1क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों या उनके प्रतिपाल्य (बच्चों) के लिए आरक्षित सीटें, पात्र छात्रों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हों, तो उन्हें अन्य पात्र छात्रों से भरा जाएगा.”   |
| धारा 10 का संशोधन.          | 4. | मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (7) एवं (9) को विलोपित किया जाय.   |
| धारा 20 का संशोधन.          | 5. | मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-<br><br>“(6) खोज समिति, अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह अथवा ऐसे और समय, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे, के भीतर पैनल प्रस्तुत करेगी ;<br><br>परंतु यह कि प्रथम निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, ऐसा और समय चार सप्ताह से अधिक नहीं होगा.”   |
| धारा 21 का संशोधन.          | 6. | मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड (ड) को विलोपित किया जाये.  |
| धारा 30 का संशोधन.          | 7. | मूल अधिनियम की धारा 30 के खंड (ड) को विलोपित किया जाये.  |
| धारा 32 का संशोधन.          | 8. | मूल अधिनियम की धारा (32) में,-<br><br>(एक) खंड (छ) में, शब्द “और” को विलोपित किया जाये ;<br><br>(दो) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-<br><br>“(छ-1) छात्रसंघ का गठन और उसकी रीति ; और”   |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक गैर-सम्बद्ध, शोध और शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में, नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

छात्रसंघ के गठन, एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों या उनके प्रतिपात्य (बच्चों) के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करने, कतिपय विसंगतियों को दूर करने, और कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करने के लिये अधिनियम के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रथमतः, संस्थान के निदेशक के वैकल्पिक पदनामों को समाविष्ट करने; द्वितीयतः, एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों या उनके प्रतिपात्य (बच्चों) के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करने; तृतीयतः, बोर्ड को छोटा करने; चतुर्थतः, संस्थान के निदेशक के पद पर प्रथम नियुक्ति हेतु पैनल प्रस्तुत करने के लिए खोज समिति को बिना सीमा और समय देने; पंचमतः, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में विसंगतियों को दूर करने; और अंतिमतः, छात्र संघ के गठन के लिए उपबंध करता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय

तकनीकी शिक्षा मंत्री

(भारसाधक सदस्य)

## उपाबंध

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 2, 6, 10, 20, 21, 30 एवं 32 का सुसंगत उद्धरण

\* \* \* \* \*

- |                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| परिभाषाएं          | 2. | (छ) "निदेशक" से अभिप्रेत है, नया रायपुर में संस्था का निदेशक, जो विश्वविद्यालय का, पदेन कुलपति होगा;  |
| संस्थान में प्रवेश | 6. | (1) वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.) के आधार पर, ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाये: |

परंतु वार्षिक अनुज्ञाप संख्या का पचास प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्कूलों में से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकेण्डरी) अर्हकारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगा।

परंतु यह और की वार्षिक अनुज्ञाप संख्या का पंद्रह प्रतिशत एन. टी. पी. सी. में नियोजित व्यक्तियों के लिए अथवा उनके प्रतिपात्य (बच्चों), जो अन्यथा पात्र हो तथा एन. टी. पी. सी. द्वारा प्रायोजित हो, के लिए आरक्षित होगा।

- बोर्ड का गठन 10. बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे अर्थात् :-
- (1) अध्यक्ष, यथा विहित रीति अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामांकित किया जायेगा ;
  - (2) प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन) ;
  - (3) प्रमुख सचिव या सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन) ;
  - (4) संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन) ;
  - (5) सीनेट द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर ;
  - (6) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहित शिक्षा, अभियांत्रिकी, विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संबंध विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति, बोर्ड द्वारा नामांकित किये जायेंगे ;
  - (7) डीन (अकादमिक) और डीन (शोध एवं विकास) (पदेन) ;
  - (8) प्रायोजक द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति ;
  - (9) रजिस्ट्रार ;
  - (10) संस्थान का निदेशक (पदेन सदस्य-सचिव).
- निदेशक की नियुक्ति 20. (6) खोज समिति, अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाये गये चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर पैनल प्रस्तुत करेगी.
- निदेशक की शक्तियां एवं कार्य 21. (ड) यदि निदेशक की राय हो कि परिस्थिति आपात प्रकृति की है और किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो वह लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए, संस्थान अध्यक्ष के अलावा, किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा :
- परंतु निदेशक यथाशीघ्र, ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा; तथा उस पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा.
- परिनियम 30. (ड) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय भत्ते एवं परिलब्धियां ;
- अध्यादेश 32. इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधधीन, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या कोई मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात् :-
- (क) संस्थान में विद्यार्थियों को प्रवेश ;
  - (ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं या अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम ;
  - (ग) शर्तें जिसके अधीन विद्यार्थियों को संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और जिसके अधीन वे संस्थान के डिग्री और डिप्लोमाओं या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए पात्र होंगे ;
  - (घ) अध्ययनवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कारों के प्रदाय हेतु शर्तें ;
  - (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें और रीति और उनके कर्तव्य ;
  - (च) परीक्षाओं का संचालन ;
  - (छ) संस्थान के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना ; और
  - (ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम या परिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये परिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हो, या किया जाए.

\* \* \* \* \*

**देवेन्द्र वर्मा**  
प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.